दुर्लभ बीमारी का सफल उपचार

उदयपुर, (कासं)। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, पिम्स, उमरड़ा, उदयपुर के श्वसन रोग विभाग में एक अत्यंत दुर्लभ एवं जटिल चिकित्सकीय प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। संस्थान के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया कि 66 वर्षीय पुरुष मरीज सांस फूलने तथा खांसी के साथ खून आने (हीमोप्टाइसिस) की शिकायत के साथ श्वसन रोग विभाग में भर्ती हुआ। मरीज की प्रारंभिक जांच के अंतर्गत छाती का एक्स-रे एवं एचआरसीटी थोरैक्स किया गया, जिसमें असामान्य निष्कर्ष सामने आए। आगे की विस्तृत जांच के लिए ब्रोंकोस्कोपी की गई, जिसमें दाहिने फेफडे के राइट मिडल लोब में एक कठोर, पथरी जैसी संरचना पाई गई, जिसे चिकित्सकीय भाषा में ब्रोंकोलिथ कहा जाता है। इस दुर्लभ ब्रोंकोलिथ को अत्यंत सावधानीपूर्वक डॉरमिया बास्केट की सहायता से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत लकड़वास, पंचायत समिति गिर्वा, जिला-उदयपुर

क्रमांक: निविदा/2025-26/60 दिनांक:- 10.2.2026

-: खुली निविदा सूचना- 04-05/2025-26 :-

कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्वीकृत कार्यो हेतु खुली-निविदाएं आमंत्रित कि जाती है अत: उक्त कार्य हेतु इच्छुक संवेदको/फर्मो से ऑनलाईन ई-निविदाएं दिनांक:- 17.02.2026 को प्रात:- 11.00 बजे तक ऑनलाइन ई-प्रोक्योमेंट पोर्टल पर आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारीsppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajathan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2526WSOB04498
ZUD2526WSOB04499

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-लकड़वास	ग्राम पंचायत-लकड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर	पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज)

वाद पदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

पत्रावली संख्या: 142/25 (विविध)

श्री किशनलाल बनाम श्री दौला

वास्ते,

1. श्री रमेशियापिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगी पिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नोजी पिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
4. चन्दरी पिता भंवरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
5. गेन्दी पिता भंवरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
6. सायरीबाई पिता जीता भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
7. गुलाबीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
8. छगनीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
9. प्यारीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
10. हुडीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री चेना पिता लखुडा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री भुरा पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
13. सीता पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
14. देवली पिता हीरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री रूपा पिता हीरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्री राजु पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्री गोकल पिता भाना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री पेमा पिता भाना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री कैलाश पिता प्यारा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
20. लोगरी पिता प्यारा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
21. प्रेमी पिता प्यारा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
22. श्री मिठुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
23. श्री कालुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
24. श्री बाबुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.का.अ.

चुकि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्व के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. के तहत पेश किया। अत: आप सभी विपक्षीगण को एतद् द्वारा आहुत किया जाता है कि आप या तो स्वंय या तो ऐसे अधिवक्ता जो कि सम्यकरूपेण अनुदिष्ट हो व प्रार्थना पत्र सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा **दिनांक 27.02.2026 को समय 10.00 बजे** प्रात: दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो।

सुचित रहे कि पूर्णवर्णित दिवस का आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

न्यायालय की मुहर उपखण्ड अधिकारी मावली

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर (राज)

वाद पदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

पत्रावली संख्या: 01/26 (वाद)

श्री प्रेमानन्द बनाम श्रीमती ईन्द्रा

वास्ते,

1. कमला पुत्री कालु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती केसी पत्नी हीरा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री हेमराज पुत्र केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री भुरालाल पुत्र केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. प्रेम पुत्री केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. गीता पुत्री केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री नन्दलाल पुत्र गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री माधुलाल पुत्र गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. रूकमणी पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. किशोरी पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. सोसर पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
12. शोभा पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. गोपी पुत्री प्रथा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री पुष्कर पुत्र जमना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री सुनिल पुत्र जमना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्री कैलाश पुत्र जमना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. देऊ पुत्री कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री देवेन्द्र पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री रोशनलाल पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
20. श्री झमकलाल पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्री ताराचन्द पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
22. वरदी पुत्री नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
23. हुडी पुत्री नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
24. श्री मथरा पुत्र प्रथा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
25. श्री मोती पुत्र नाथु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
26. श्री मोहनलाल पुत्र गणपत धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
27. रेखा पुत्री मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
28. श्री रतनलाल पुत्र कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
29. श्री रमेश पुत्र हीरा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
30. श्री राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
31. रीना पुत्री मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
32. लेरी पुत्री प्रथा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
33. श्री लादु पुत्र कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
34. श्री लालु पुत्र नाथु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
35. लीला पुत्री कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
36. श्रीमती लीलादेवी पत्नी मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
37. सीमा पुत्री मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

चुकि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व के लिए एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 के तहत पेश किया। अत: आप सभी प्रतिवादीगण को एतद् द्वारा आहुत किया जाता है कि आप या तो स्वंय ऐसे या अधिवक्ता जो कि सम्यकरूपेण अनुदिष्ट हो व वाद सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा **दिनांक 05.03.2026 को समय 10.00 बजे** प्रात: दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो।

सुचित रहे कि पूर्णवर्णित दिवस का आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

न्यायालय की मुहर सहायक कलक्टर (FT) मावली

श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन

उदयपुर/डूंगरपुर (कासं)। केंद्र सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के विरोध में गुरुवार को देशभर में आहूत राष्ट्र व्यापी श्रमिक हडताल का असर उदयपुर में भी देखने को मिला। विभिन्न श्रमिक संगठनों, किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने शहर में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त अव्हान पर गुरुवार को आहूत राष्ट्रीय आम हडताल के तहत उदयपुर शहर में बैंक एबीमाएऔद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों, महिला संगठनों,किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने टाउन हॉल से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया एवं सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने की ।रैली के दौरान मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस लो,जी राम जी योजना रद्द करो,मनरेगा कानून को पुन: बहाल करो,निजीकरण ठेकाकरण नहीं चलेगा,सामाजिक सुरक्षा पर हमले बंद करो, बिजली संशोधन विधेयक 2025 वापस लो आदि नारे लगाते हुए रैली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर प्रदर्शन किया व इस के पश्चात सभा आयोजित की गई। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों व किसानों के खिलाफ नीतियां लेकर आ रही है। इस सरकार ने 29 मजदूर कानूनों को हटाकर चार मजदूर संहिताएं लेकर आई है जो दशकों से अर्जित श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती हैए नौकरी की सुरक्षा समाप्त होती है, हायर एंड फायर को वैध बनाया जा रहा है,सामूहिक सौदेबाजी व हडताल के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। इन श्रम संहिताओं से ट्रेड यूनियन अधिकारों को कमजोर करने का इरादा है श्रम निरीक्षक व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाते हैं ऐसे कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

डूंगरपुर संवाददाता के अनुसार : मोदी सरकार द्वारा पहले मजदूर विरोधी लेबर कोड थोपने और अब गरीबों के रोजगार के अधिकार को खत्म करने के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी हडताल में स्कीम वर्कर्ष, मजदूर, किसान, कर्मचारी, संविदा कर्मियो ने बढ चढकर जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर भागीदारी की। सीटू के नेतृत्व मे विभिन्न जनसंगठन से जुडे कार्यकर्त्ता जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनी, कुक कम हेल्पर, बिल्डिंग वर्कर मजदूर कृषक मित्र, किसान आदि पहले बादल महल रोड पर इकठा हुए।

एकीकृत कृषि प्रणाली मॉड्यूल का सजीव प्रदर्शन

उदयपुर, (कासं)। क्षेत्रीय कृषि मेला-2026 एवं फल-फूल-सब्जी प्रदर्शनी के अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के तत्वावधान में अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली मॉड्यूल का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चैधरी, कुलगुरु महोदय डॉ. प्रताप सिंह, मानव संसाधन प्रबंधन के सहायक महानिदेशक डॉ एस. के. शर्मा, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आर. एल. सोनी, कुल सचिव श्री अशोक कुमार, डॉ. मनोज महाला, डीन, आरसीए, एमपीयूएटी, उदयपुर एवं ओएसडी डॉ सिद्धार्थ मिश्रा, द्वारा किया गया।

इस अवसर पर डॉ. हरि सिंह, प्रधान अन्वेषक ने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉड्यूल की कार्यप्रणाली, इसके विभिन्न घटकों जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संसाधन पुनर्चक्रण आदि के समन्वय के बारे में आगंतुकों एवं किसानों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने से एक हेक्टेयर क्षेत्र से 2.30 लाख रुपये तक की अतिरिक्त शुद्ध आय एवं 474 मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सकता है। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि, जोखिम में प्रभावी कमी तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं सतत उपयोग संभव हो पाता है।

मेले के दौरान पॉच जिलो के 2000 से अधिक किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों एवं अन्य आगंतुकों ने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉड्यूल का अवलोकन किया।

'गीतांजली पैथटॉक' कल से

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर के पैथोलॉजी विभाग द्वारा उदयपुर सोसायटी ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स के सहयोग से 14 व 15 फरवरी को दो दिवसीय 'गीतांजली पैथटॉक 2026' जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को प्रात: ०8.15 बजे होगा।

कॉन्फ्रेंस की थीम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में उभरते रुझान- क्या नया है, क्या प्रासंगिक है और आगे क्या रखी गई है। इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट्स एवं विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे तथा राजस्थान और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से पैथोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और मेडिकल विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे।

'अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा बजट'

उदयपुर,(कासं)। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि यह बजट आमजन किसान युवा महिला कर्मचारी व्यापारी उद्योगपति एवं सभी वर्गो की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार ग्रामीण विकास सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया है यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2026. 27 का जो बजट पेश किया उसे जन.जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश संगठन ने गुरुवार को प्रदेश के सभी संभागों में प्रेस वार्ता कर बजट पर विचार रखे।इसी ऋम में उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता कर इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान को पूर्ण विकसित करने के लिए बनाया गया बजट बताया। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के सौ वर्ष पूरे होंगे 2047 में तब तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत के साथ प्रवेश करेंगे और उसी की तर्ज पर विकसित राजस्थान को बनाने के लिए यह बजट बनाया गया।

रजिस्ट्रेशन शिविर में 55 लाइसेंस हाथों-हाथ जारी

भीम, (निसं)। कस्बे के सदर बाजार सिंधी धर्मशाला में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस में पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर शिविर आयोजित किया गया।

राजसमंद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देशन में तथा मुख्य चिकित्साएं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल के आदेशानुसार भीम में सदर बाजार स्थित सिंधी धर्मशाला में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित शिविर में विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के 55 रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस मौके पर ही जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी खाद्य विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस लिया जाना आवश्यक है। बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के व्यापार करने वाले खाद्य व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा व्यापारियों को शुद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामठाी विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई । टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र डांगी तथा सहायक महेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

सेमीनार आयोजित

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक विश्वविद्यालय के पेसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट द्वारा रोड सेफ्टी विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं नागरिकों में सडक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढाना तथा ट्रैफिक नियमों के पालन के महत्व को समझाना था।

मुख्य अतिथि नारायण चौधरी (आधार फाउंडेशन, उदयपुर), सुनील चारण (सर्किल इंस्पेक्टर, उदयपुर) एवं एन.एम. गुलजार (एडिशनल आरटीओ) रहे। इस कार्यक्रम मे प्रो. टी.पी आमेटा, प्रो. दिपिन माथुर व डॉ पुष्पा मेंदू उपस्थित थे।कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश श्रीमाली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सडक सुरक्षा आज के समय की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

जेवरात चोरी करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने बस में सवार महिला के पर्स से सोने के जेवरात चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार पीडिता जामुडा गींगला सलूम्बर हॉल बप्पारावल नगर हिरणमगी सेक्टर 6 निवासी प्रेमकंवर पत्नी चन्द्रवीरसिंह चुण्डावत ने सूरजपोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 9 फरवरी दोपहर में बस में बैठ कर सलूम्बर जा रही थी। इस दौरान अज्ञात चोर मेरे पर्स से सोने की कडे, मंगलूस, अंगुठी चुरा ले गया। इसका पता चलने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर अनुसंधान अधिकारी एएसआई तेजसिंह ने मामले में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी वणी भीण्डर निवासी सोहनलाल पुत्र गोरधन लौहार को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया है।

जिला कलक्टर ने ग्रामीणों की सुनी परिवेदनाएं

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिला कलक्टर नमित मेहता ने बुधवार को भीण्डर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत वरणी में रात्रि चौपाल करते हुए जिला कलक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुना और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पूर्व उपखण्ड कार्यालय भीण्डर और पुलिस थाने का निरीक्षण किया।

जिला कलक्टर मेहता बुधवार देर शाम ग्राम पंचायत वरणी पहुंचे। वहां जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में रात्रि चौपाल हुई। चौपाल में पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न विभागों से जुडी समस्याएं रखीं।

चौपाल में नवीन पशु चिकित्सा केंद्र स्वीकृत करने, पेयजल पाइपलाइन मरम्मत, सड़क मरम्मत, अतिक्रमण, पेयजल में फ्लोराइड समेत विविध प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो और ग्रामीणों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। कलेक्टर मेहता ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वाच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्राम स्तर पर आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश भी दिए, ताकि बजट प्रावधान के अनुसार कार्यों को स्वीकृति दिलाई जा सके। अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया तथा शेष मामलों में निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बिरमाराम सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों समेत ग्रामीण मौजूद रहे।

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

CIN: L65922RJ1999PLC015440

321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)

दूरभाष : 0294-2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

परिशिष्ट - 4 {नियम 8 (1)} सांकेतिक की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए "मांग पत्र" जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का सांकेतिक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे सांकेतिक कब्ज़ा पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्ज़ा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चों, अन्य खर्चों आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्योर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ऋणी/सहऋणी/जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1.	HLR00000000015913 श्री खुमा लाल माली पुत्र श्री गुलाब माली (ऋणी) श्रीमती बाबुडी माली पत्नी श्री खुमा जी माली (सह-ऋणी-1) श्री शंकर लाल माली पुत्र श्री खुमा (सह-ऋणी-2) श्री सुरेश पुत्र श्री गुलाब (सह-ऋणी-3) श्री गेरा लाल पुत्र श्री मोहन लाल (जमानती-1) श्री अमृत लाल माली पुत्र श्री भंवर लाल माली (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- अक्टूबर 13, 2025 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- फरवरी 09, 2026 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 10,28,380 /- रुपये दस लाख अठाईस हजार तीन सौ अस्सी मात्र दिनांक अक्टूबर 07, 2025 तक एवं अक्टूबर 08, 2025 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री खुमा लाल माली पुत्र श्री गुलाब माली जी की सम्पति जो की मिसल सं.- 9/2004, संकल्प सं.- 8 (20-9-2006), सम्पति सं.-05, ग्राम-भील मागरा, ग्राम पंचायत-घोसुण्डी, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1116.50 वर्ग फीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-रास्ता और एकलिंग माली का मकान, पश्चिम- रास्ता और सुरेश माली का मकान, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-रास्ता और हरी राम हीर लाल माली का मकान

स्थान- राजस्थान
प्रकाशन की दिनांक- 13/02/2026

अधिकृत अधिकारी
एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, "अ" श्रैणी निम्बाहेड़ा

दूरभाष - कार्यालय-01477-220040 ईमेल- kums.nimbahe@rajasthan.gov.in

क्रमांक/कृउमस/आंवटन/25-26/1211-1234 दिनांकः- 05.02.2026

विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेडा के फल-सब्जी मण्डी प्रांगण मे चिन्हित एवं रिक्त दुकान/गोदाम भूखण्डों के आवंटन हेतु इस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति कमांक 1250-1266 दिनांक 12.03.2022 एवं कमांक 333-348 दिनांक 27.06.2022 के कम मे अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःशक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कृषक (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पाद कृषक वर्ग, अनुज्ञापत्रधारी तेल मील एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई वर्ग, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं वन उपज/औषधी पादप/जड़ी बुटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग के अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदन पत्रों के दिये आंकडों एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर जांच एवं सत्यापन किए जाने के उपरान्त अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(4) की पालना मे निम्नानुसार पात्र एवं अपात्र सूची जारी की जाती हैं। अचल संपति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1)के तहत 01.04.2010 के पूर्व अनुज्ञापत्रधारी जो कि निरन्तर व्यवसायरत हो उन्हे निर्धारित आरक्षित दर पर सर्वप्रथम आवंटन किया जाएगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदको की सूची

भूखण्ड साईज 15'9''X27'6'+20 (15 दुकान/गोदाम मय प्लेटफॉर्म)

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क. स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स मुन्ना खॉ मोहम्मद खॉ	01/28.04.1995	पात्र
2	मैसर्स दुर्गाशंकर गणेशलाल माली	10/30.10.1999	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क. स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है
	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
18	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
19	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
20	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
21	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	वितिय वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत प्रथम वरियता के अनुज्ञापत्रधारी शेष नही रहनें पर द्वितीय वरीयता पर विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तीय वर्षो मे निरन्तर व्यवसायरत फर्म को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर की डेढ गुना राषि पर आवंटन किया जायेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क. स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	पात्र
2	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	पात्र
3	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क. स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है
2	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय नही होने के कारण
18	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय नही होने के कारण
19	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

अचल सम्पति आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) व 7(1)(2) के समस्त पात्र अनुज्ञापत्रधारी के आवंटन के पश्चात् दुकान/भूखण्ड रिक्त रहने की दषा मे शेष समस्त आवेदकों आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किया जावेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	पात्र
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	पात्र
3	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	पात्र
4	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	पात्र
5	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	पात्र
6	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	पात्र
7	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	पात्र
8	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	पात्र
9	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	पात्र
10	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	पात्र
11	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	पात्र
12	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	पात्र
13	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	पात्र
14	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	पात्र
15	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	पात्र
16	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	पात्र
17	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	पात्र
18	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क. स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है

निःषक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग हेतु पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र संख्या व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स नारायण मोहनलाल माली	499/10.02.2012	पात्र

आवंटन के लिए उपरोक्त अनुसार अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःशक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कृषक (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पादक कृषक वर्ग अनुज्ञापत्रधारी तेल मील एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई वर्ग, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं वन उपज/औषधि पादप/जड़ी बुटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग की पात्रता निर्धारण मे किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो लिखित मे साक्ष्य के साथ दिनांक 23.02.2026 को साय 6.00 बजे तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेडा मे प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समय समयावधि के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

राज.संवाद/सी/25/19665 सचिव